अजय कुमार दास और ए. एन. आर. बनाम

विभागीय प्रबंधक और ए. एन. आर. (2022 की सिविल अपील संख्या 447) 24 जनवरी, 2022

/

[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़ और दिनेश माहेश्वरी**,** जे**.** जे**.]**

कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923:धारा 4 ए-85 प्रतिशत तक स्थायी अक्षमता से पीड़ित श्रमिक को मुआवजे पर ब्याज का अधिनिर्णय-बीमाकर्ता द्वारा इसके खिलाफ अपील-उच्च न्यायालय ने सीमा के आधार पर अपील को खारिज करते हुए निर्देश दिया कि दावेदार अर्जित ब्याज के अलावा दिए गए मुआवजे पर किसी भी ब्याज का हकदार नहीं है-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःउच्च न्यायालय का निर्णय अकथनीय है-बीमाकर्ता की अपील को सीमा के आधार पर खारिज करने के बाद, उच्च न्यायालय के लिए मुआवजे पर ब्याज के अधिनिर्णय में गुण-दोष के आधार पर हस्तक्षेप करने का कोई अवसर नहीं था-उच्च न्यायालय की ओर से त्रुटि के कारण एक मजदूर और उसके जीवनसाथी को इस न्यायालय तक जाना पड़ा है-इस प्रकार, जो मुआवजा और ब्याज दिया गया है, उसके अलावा, अपीलकर्ता 50,000/- रुपये की लागत निर्धारित करने के हकदार हैं।

/

/

/

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.1** उच्च न्यायालय का निर्णय समझ से परे है।बीमाकर्ता की अपील को सीमा के आधार पर खारिज करने के बाद**,** उच्च न्यायालय के लिए श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम **1923** के अंतर्गत मुआवजे पर ब्याज के पुरस्कार के गुण**-**दोष पर हस्तक्षेप करने का कोई अवसर नहीं था।उच्च न्यायालय की ओर से हुई त्रुटि के कारण एक मजदूर और उसके जीवनसाथी को इस न्यायालय तक जाना पड़ा है।हालाँकि दुर्घटना **2000** में हुई थी**,** लेकिन मुकदमे की प्रक्रिया अब केवल वर्तमान निर्णय के साथ समाप्त होगी।उच्च न्यायालय ने भी गुण**-**

दोष पर गलती की है।**1923** के अधिनियम की धारा **4** ए में कहा गया है कि आयुक्त नियोक्ता को **12** प्रतिशत या उससे अधिक दर पर ब्याज का भुगतान करने का निर्देश देगा**,** जो किसी भी अनुसूचित बैंक की निर्दिष्ट ऋण दरों से अधिक नहीं होगा**,** यदि नियोक्ता

/

/

/

468

469

अजय कुमार दास बनाम डिवीजनल मैनेजर ए

मुआवजे का भुगतान देय तिथि से एक महीने के भीतर नहीं करता है।दुर्घटना की तारीख से दिए गए मुआवजे पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।इस प्रकार**,** उच्च न्यायालय के लिए ब्याज के भुगतान के आदेश को हटाने का कोई कानूनी आधार नहीं था**,** और उक्त निर्देश को दरकिनार कर दिया जाता है।आयुक्त द्वारा मुआवजे के पुरस्कार के साथ ब्याज के भुगतान के आदेश को बहाल कर दिया जाता है।**[**पैरा **5,6] [470-G-H; 471-A-B, D-F]**

/

1.2 यद्यपि प्रथम प्रतिवादी इन कार्यवाहियों में उपस्थित नहीं हुआ है**,** नोटिस की सेवा के बावजूद**,** लागत का अधिनिर्णय आवश्यक है क्योंकि अपीलकर्ताओं को उच्च न्यायालय के एक स्पष्ट रूप से गलत आदेश के खिलाफ इस न्यायालय का रुख करने के लिए विवश किया गया है जो प्रतिवादी द्वारा सीमा से परे दायर अपील में पारित किया गया था।बीमाकर्ता सीमा द्वारा वर्जित एक अपील में प्रतियोगिता को उच्च न्यायालय में ले गया।एक अच्छी तरह से संसाधन वाली बीमा कंपनी ने न्याय से बचने के लिए अपने प्रभुत्व की स्थिति का इस्तेमाल किया है।इस तरह की रणनीतियों से बचना चाहिए।दिए गए मुआवजे और ब्याज के अलावा**,** अपीलार्थी **50,000** रुपये की लागत के हकदार होंगे।**[**पैरा **7] [471-**एफ**-**जी**; 472-**ए**]**

/

/

सबेराबीबी याकुभाई शेख बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी।

लिमिटेड (2014) 2 एससीसी 298:[2014] (1) एससीआर 303; ओरिएंटल

बीमा कंपनी लिमिटेड बनामसिबी जॉर्ज **(2012) 12** एससीसी **540:[2012] (6)** एस**.** सी**.** आर**. 1079;** पी**.** मीनराज बनाम पी**.** आदिगुरुसामी

/

& एन. आर. 2022 की सिविल अपील संख्या 209,6 जनवरी 2022 को तय की गई-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

/

[2014] (1) एससीआर **303**

संदर्भित

पैरा **5**

[2012] (6) एससीआर **1079**

संदर्भित

पैरा **5**

सिविल अपीलीय अधिकारिता सिविल अपील सं. 447

2022.

2018 की समीक्षा याचिका No.84 में कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय के दिनांकित 08.02.2019 के निर्णय और आदेश से।

/

चिट्टा रंजन मिश्रा, नीरज श्रीवास्तव, रोनक बैद, सुश्री नीतू राठौर, सुश्री शालू शर्मा, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ**.** धनंजय वाई**.** चंद्रचूड़**,** जे**.**

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील 2018 के एफ. ए. ओ. सं. 358 में 11 अप्रैल 2018 के उड़ीसा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय से उत्पन्न होती है। 3.पहला अपीलार्थी पंजीकरण संख्या ओ. ए. एक्स. 2764 वाले ट्रक में एक मजदूर के रूप में काम कर रहा था और दूसरे प्रतिवादी द्वारा रेत की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए नियुक्त किया गया था।5 जून 2000 को ट्रक एक दुर्घटना का शिकार हो गया जिसके परिणामस्वरूप पहले अपीलार्थी के पेट और गुर्दे में कई चोटें आईं।उनकी सर्जरी हुई और 22 जून 2000 को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ओडिशा के कामगार क्षतिपूर्ति-सह-सहायक श्रम आयुक्त के समक्ष मुआवजे का दावा दायर किया गया था।24 मई 2016 के एक आदेश द्वारा दावे की अनुज्ञात गई थी।यह अभिनिर्धारित किया गया कि सभी संभावित उपचारों के बावजूद पहला अपीलार्थी 85 प्रतिशत तक स्थायी रूप से अक्षम हो गया, जिससे उसकी अर्जित करने की क्षमता 100% तक कम हो जाएगी।चूंकि उन्हें मासिक आय के रूप में 2100 रुपये मिल रहे थे, इसलिए देय कुल मुआवजा 2100 रुपये (मासिक आय का 60 प्रतिशत) x (आयु कारक के रूप में उनकी आयु 22 वर्ष थी) x 100 रुपये (आय का नुकसान) था।श्रम आयुक्त ने निर्देश दिया कि दुर्घटना की तारीख से जमा होने तक दी गई मूल राशि पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए।

/

/

/

/

4. प्रथम प्रत्यर्थी, जो बीमाकर्ता है, ने 619 दिनों की देरी के साथ 2018 का एफ. ए. ओ. संख्या 358 होने के नाते उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की।उच्च न्यायालय ने 11 अप्रैल 2018 के अपने आदेश द्वारा माफी के लिए आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि 619 दिनों की अस्पष्टीकृत देरी हुई थी।फिर भी, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता अर्जित ब्याज के अलावा दिए गए मुआवजे पर किसी भी ब्याज के हकदार नहीं हैं। उच्च न्यायालय के आदेश की समीक्षा करने की मांग की गई थी, लेकिन समीक्षा के लिए याचिका को भी 8 फरवरी 2019 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि पहले अपीलार्थी ने पहले ही अर्जित ब्याज के साथ पूरी अधिनिर्धारित राशि वापस ले ली है।

/

/

5. उच्च न्यायालय का निर्णय समझ से परे है।बीमाकर्ता की अपील को सीमा के आधार पर खारिज करने के बाद, उच्च न्यायालय के लिए श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत मुआवजे पर ब्याज के पुरस्कार के गुण-दोष पर हस्तक्षेप करने का कोई अवसर नहीं था।जब अपील को सीमा के आधार पर खारिज कर दिया गया, तो उच्च ए

/

471

अजय कुमार दास बनाम विभागीय प्रबंधक [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

न्यायालय गुण-दोष के आधार पर इस पर विचार नहीं कर सकती थी।उच्च न्यायालय की ओर से हुई त्रुटि के कारण एक मजदूर और उसकी पत्नी को इस न्यायालय तक जाना पड़ा है। हालाँकि दुर्घटना 2000 में हुई थी, लेकिन मुकदमे की प्रक्रिया अब केवल वर्तमान निर्णय के साथ समाप्त होगी।रिकॉर्ड को सीधा करने के लिए, उच्च न्यायालय ने गुण-दोष पर भी गलती की है।श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 की धारा 4 ए में कहा गया है कि यदि नियोक्ता मुआवजे का भुगतान देय तिथि से एक महीने के भीतर नहीं करता है तो आयुक्त नियोक्ता को 12 प्रतिशत या अधिक दर पर ब्याज का भुगतान करने का निर्देश देगा, जो किसी भी अनुसूचित बैंक की निर्दिष्ट ऋण दरों से अधिक नहीं होगा।में

/

सबेराबी याकुभाई शेख बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम ओरिएंटलसिबी जॉर्ज 2 जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि क्षतिपूर्ति दुर्घटना की तारीख से देय होगी।इसके अलावा, पी. मीनाराज बनाम पी. आदिगुरुसामी और अन्र में हाल के निर्णय में। 3, इस न्यायालय ने दोहराया कि आवेदक दुर्घटना की तारीख से ब्याज का हकदार है, इस निवेदन को अस्वीकार करते हुए कि ब्याज का पुरस्कार दुर्घटना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद होना चाहिए।इस प्रकार, उच्च न्यायालय के लिए ब्याज के भुगतान के आदेश को हटाने का कोई कानूनी आधार नहीं था।

/

/

6. उपरोक्त कारणों से, हमने 11 अप्रैल 2018 के उच्च न्यायालय के आदेश में निहित निर्देश को रद्द कर दिया, जिसके द्वारा ब्याज के भुगतान के आदेश को हटा दिया गया था।अतिरिक्त श्रम आयुक्त-सह-आयुक्त, कामगार क्षतिपूर्ति द्वारा जारी किए गए ब्याज के भुगतान के आदेश को मुआवजे के पुरस्कार के साथ बहाल कर दिया जाएगा।

/

7. यद्यपि प्रथम प्रतिवादी इन कार्यवाहियों में उपस्थित नहीं हुआ है, नोटिस की सेवा के बावजूद, हमारा विचार है कि लागत का अधिनिर्णय आवश्यक है क्योंकि अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी द्वारा सीमा से परे दायर अपील में पारित उच्च न्यायालय के एक स्पष्ट रूप से गलत आदेश के खिलाफ इस न्यायालय का रुख करने के लिए विवश किया गया है।बीमाकर्ता सीमा द्वारा वर्जित एक अपील में प्रतियोगिता को उच्च न्यायालय में ले गया।एक सुव्यवस्थित बीमा कंपनी ने न्याय के कारण से बचने के लिए अपने प्रभुत्व की स्थिति का उपयोग किया है।इस तरह की रणनीतियों से बचना चाहिए।दिए गए मुआवजे और ब्याज के अलावा, अपीलार्थी

/

/

1 (2014) 2 एससीसी 298

2 (2012) 12 एससीसी 540

3 2022 की सिविल अपील संख्या 209,6 जनवरी 2022 को तय की गई

/

50, 000 रुपये की निर्धारित लागत का हकदार होगा जिसका भुगतान चार सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाएगा, जिसमें पुरस्कार के घटक के साथ-साथ ब्याज भी शामिल होगा जिसका भुगतान किया जाना बाकी है।

8. उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुज्ञात है।9. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

/

निधि जैन

अपील अनुज्ञात ।

/

/

/

/

/

/